

राजस्थान-सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:-335/2019
पीठासीन अधिकारी:- रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण:-

1. भगवानाराम पुत्र स्वरूपाराम
2. हड़मानाराम पत्र स्वरूपाराम
3. हरचन्द्रराम पुत्र स्वरूपाराम
4. बक्साराम पुत्र लुम्बाराम जातियान विश्नोई निवासी ग्राम श्री कृष्णनगर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:-

सरकार जरिये तहसीलदार, बापिणी जिला जोधपुर।

उपस्थिति:-

1. श्री दिनेशकुमार मदेरणा वकील प्रार्थीगण।
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
--:: निर्णय ::--

दिनांक:-30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि राजस्व ग्राम श्री कृष्णनगर के खसरा नम्बर 2012 रकबा 68.03 बीघा भूमि आई हुई थी, जिसकी जमाबंदी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त खसरा की भूमि के खातेदारों द्वारा आपस में सहमति से विभाजन दिनांक 08.07.2014 को करवाया गया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1096 स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में अलग से विभाजन किया गया। लेकिन उक्त बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार नामान्तरकरण की पुस्त पर विभाजन नहीं कर हल्का पटवारी द्वारा सहवन से गलत तरमीम पुस्त पर अंकित कर दी गई व प्रार्थीगण मौके पर काबिज भी बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार है। इसलिये बंटवाड़ा के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1096 की पुस्तपर अंकित तरमीम को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम को दुरुस्त किया जाता है तो किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व

सहायक



पौचित

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकारों का प्रयोग सुगमतापूर्वक कर सकेगा। अतः राजस्व ग्राम श्री कृष्णनगर के खसरा नम्बर 2012 रकबा 68.03 बीघा भूमि की बंटवाड़ा दिनांक 08.07.2014 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1096 की पुस्त पर अंकित तरमीम को दुरुस्त किया जाकर बंटवाड़ा के साथ नजरी नक्शे अनुसार व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकॉर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, बापिणी ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम कृष्णनगर के नामान्तरकरण संख्या 1096 जो बंटवाड़ा का भरा हुआ है जिसमें खसरा नम्बर 2012 रकबा 68.03 बीघा था, जिसमें 54.03 बीघा बक्शाराम पि. लूम्बाराम के बंट में एवम् 14.00 बीघा स्वरूपाराम पि. लूम्बाराम के बंट में संलग्न नक्शा संख्या एक अनुसार बंटवाड़ा में तरमीम स्वीकृत की गई। जबकि नामान्तरकरण भरते समय पटवारी द्वारा अपनी मनमर्जी से नामान्तरकरण पुस्त पर संलग्न नक्शा संख्या दो अनुसार तरमीम कर दी गई, जबकि स्वीकृत बंटवाड़ा अनुसार मौके पर प्रार्थी काबिज है तथा नक्शा में पुस्त पर गलत तरमीम दर्शा कर लट्टा नक्शा में गलत तरमीम कर दी गई, जो बंटवाड़ा में स्वीकृति अनुसार एवं मौका अनुसार सही तरमीम किया जाा उचित है। जिसमें सभी पक्षकार सहमत है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत को दोहराया गया तथा अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार रेकॉर्ड शुद्धिकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चय यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है तथा तहसीलदार, बापिणी के द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिला है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, अतः राजस्व ग्राम श्री कृष्णनगर के खसरा नम्बर 2012 रकबा 68.03 बीघा भूमि की बंटवाड़ा दिनांक 08.07.2014 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1096 की पुस्त पर अंकित तरमीम को दुरुस्त किया जाकर इस निर्णय के संलग्न उत्तरी-पश्चिमी भाग में नक्शा अनुसार यानि बंटवाड़ा के साथ नजरी नक्शे अनुसार व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकॉर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है, संलग्न नक्शा को इस निर्णय का भाग समझा जावे। अतः माफिक आदेश तहसीलदार, बापिणी पूर्व में गलत की गई तरमीम को दुरुस्त की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर, प्रोबिण्ड
(रतनलाल नगर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां